RSLSA *LSRR*

रजिस्ट्री सं. : डी.एल.-33004/99 Regd. No. : D.L. - 33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – **खण्ड 3** – **उप-खण्ड** (i)

Part II – Section 3 – Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] **नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938**

No. 430] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASHADHA 1, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

सा.का.नि. 618(अ) :- केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2003, (जिसे एक पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में:-

(i) उपनियम (3) में ''चार सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार पाँच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (5) में ''तीन हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

''(2) अध्यक्ष अन्य व्यक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की उम्र तक इनमें से जो पूर्वतर के लिए पद धारण करेंगे।''

[फा.सं. ए-60011/10/2012-प्रशा.-III (एलए)/एलएपी(न्या.)]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना में सा.का.नि. 3(अ) तारीख 2 जनवरी 2003 को प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 373(अ) तारीख 13 मई, 2008 द्वारा किए गए।

❖ ❖ ❖